

दिनांक
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

10-5-19

अधिकारिता अवैधता के जोड़े किए कि वे उच्चतम
 38/16 अस्तित्व में निषेधाज्ञा की प्रजावली के
 अन्तर्गत कार्यवाही नहीं पाएंगे है अन्तः प्रजा
 जोर प्रेस कायदा पाएंगे है
 व मील अवैधता के निषेधाज्ञा पर अवैधता
 जोर प्रेस के रजिस्ट्रेशन किया जाता है। प्रजावली
 प्रजावली शुभान है वह निलंबित है व
 कार्यवाही प्रजावली है।

Nab Prshy
 me
 2

उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद (अजमेर)